संख्या-44/2021/671/38-4-2021-123(विविध)/2017

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0ए लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021**

विषय:-पछइया लोहार/गढ़इया लोहार एवं बैगा (अनुसूचित जनजाति) को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता/प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1628/वि0का0/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2021(85-सहरिया), दिनांक 23.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के कतिपय जनपदों में निवासरत पछइया लोहार/गढ़इया लोहार एवं बैगा अनुसूचित जनजाति (सोनभद्र) को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 02.02.2018 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-3.3 में वनटांगिया/मुसहर/सहरिया/कोल/थारू/नट(अनुसूचित जाति) एवं चेरो अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित किये जाने के साथ ही योजनान्तर्गत पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी उपप्रस्तर-3.1 में उल्लिखित प्राकृतिक आपदा के संबंध में कतिपय प्रावधान जोड़े जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018, सपठित शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017, दिनांक-04.02.2018, सपठित शासनादेश संख्या-09/2021/150/38-4-21-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 18.03.2021 एवं सपठित शासनादेश संख्या-19/2021/240/38-4-2021-123(विविध)/2017 टी0सी0-1, दिनांक 25.06.2021 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित जातियों/जनजातियों को योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-3.3 में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

1. **पछइया लोहार/गढ़इया लोहार**
2. **बैगा (अनुसूचित जनजाति, जनपद-सोनभद्र)**

3- उक्त के अतिरिक्त उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 02.02.2018 द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-3.1 में उल्लिखित प्राकृतिक आपदा के संबंध में निम्नलिखित प्राविधान जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है-

"जिस वित्तीय वर्ष में आवास आवंटित किया जा रहा हो, आवास आवंटन के समय तक उस वर्ष में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पात्र परिवारों को आवास आवंटन सूची में सम्मिलित किया जायेगा। यदि उस वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित समस्त पात्र परिवारों के लिए आवश्यक बजट/धनराशि का आवंटन नहीं हो पाता है, तो अवशेष पात्र लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष में कैरी फारवर्ड (अग्रेनीत) किया जायेगा।"

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-44/2021/671/38-4-2021, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0।
(3) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(5) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(10) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(11) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(12) समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(13) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
(14) समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।
(15) गार्ड फाइल।

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।